

प्रमाण पत्र—(Non Encumbrance)

प्रमाणित किया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी जनपद उत्तरकाशी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग लम्बाई 28.100 किमी० हेतु दोगुनी भूमि क्षतिपूरक हेतु चिन्हित की गयी भूमि का कुल रकवा 44.433 है० है, जिस पर केवल उत्तराखण्ड सरकार (राजस्व विभाग) का स्वामित्व है। जिसमें जनहित में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार मोरी की जांच आख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।


02.09.20
उपजिलाधिकारी
पुरोला।

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (28.100 किमी०) कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (28.100 किमी०) का नव निर्माण कार्य जिसमें हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगूनी भूमि राजस्व विभाग, पुरोला के अन्तर्गत है।

1. ग्राम ओसला के कलकत्ती सिविल (उत्तराखण्ड सरकार) – 44.433 है०

जिसकी जांच वन क्षेत्राधिकारी, सांकरी रेंज से करवायी गयी है, जांच आख्या अनुसार राजस्व विभाग, पुरोला द्वारा उपलब्ध कराई गयी भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।



उप निदेशक,

गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पा०,
पुरोला, उत्तरकाशी।